



**THE
JHARKHAND GAZETTE
EXTRAORDINARY
PUBLISHED BY AUTHORITY**

15 JYESHTH, 1945 (S)

No. 331

RANCHI, MONDAY 5th JUNE, 2023

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

NOTIFICATION

5th June, 2023

Notification No.- 3/2023 – State Tax(Rate)

S.O. No. 26, Dated 5th June, 2023 -- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 and sub-section (5) of section 15 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Government of Jharkhand, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of Jharkhand in the Commercial Taxes Department, No.1/2017-State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017, published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, *vide* S.O. No. 31, dated the 29th June, 2017, namely: -

In the said notification, -

- (i) in Schedule I –2.5%, against S. No. 91A, in column (3), for the entry, the following entry shall be substituted, namely: -

“Jaggery of all types including Cane Jaggery (gur), Palmyra Jaggery, pre-packaged and labelled; Khandsari Sugar, pre-packaged and labelled; Rab, pre-packaged and labelled”;

- (ii) in Schedule II –6%, after S. No. 186 and entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)
"186A	8214	Pencil sharpeners";

(iii) in Schedule III –9%, against S. No. 302A, in column (3), at the end, the brackets and words "[other than pencil sharpeners]" shall be inserted.

2. This notification shall be deemed to be effective from the 01st March, 2023.

[File. No. VaKar/GST/01/2023]
By the order of the Governor of Jharkhand,

(Vipra Bhal)
Secretary,
Commercial taxes Department

Note: - The principal notification No.1/2017- State Tax (Rate), dated the 29th day of June, 2017 was published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, vide S.O. No. 31, dated the 29th June, 2017 and was last amended by notification No. 12/2022 – State Tax (Rate) dated the 14th March, 2023 published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, vide S.O. No. 8, dated the 14th March, 2023.

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

5 जून, 2023

अधिसूचना सं०. 3/2023- राज्य कर(दर)

एस. ओ. सं. 26, दिनांक 5 जून, 2023 - झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप धारा (1) और धारा 15 की उप धारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, झारखण्ड सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, झारखण्ड सरकार, वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या 1/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017 को एस. ओ. सं. 31, दिनांक 29 जून, 2017 के तहत झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में,-

- अनुसूची I- 2.5% में, क्रम संख्या 91 क के समक्ष, कॉलम (3) की प्रतिष्ठि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्ठि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-
"गन्ने के गुड़, पलमायरा गुड़ सहित सभी प्रकार के गुड़, जो प्री-पैकेज्ड और लेबल किये गए हों; खांडसारी शुगर, जो प्री-पैकेज्ड और लेबल की गई हो; राब, जो प्री पैकेज्ड और लेबल- की गई हो";
- अनुसूची II-6% में, क्रम संख्या 186 और उससे संबंधित प्रविष्ठियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्ठियाँ अंतःस्थापित की जाएँगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)
"186क	8214	पेंसिल शार्पनर्स ";

(iii) अनुसूची III-9% में, क्रम संख्या 302क के सामने, कॉलम (3) में, अंत में, कोष्ठक और शब्द "[पेंसिल शार्पनर्स के अलावा]" अंतःस्थापित किए जाएंगे।

2. यह अधिसूचना दिनांक 01 मार्च, 2023 से लागू मानी जाएगी।

[सं.सं.वा0कर/जी0एस0टी0/01/2023]

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

(विप्रा भाल)

सचिव,

वाणिज्य-कर विभाग।

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 1/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017 को एस. ओ. सं. 31, दिनांक 29 जून, 2017 के तहत झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था, और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 12/2022- राज्य कर (दर), दिनांक 14 मार्च, 2023, जिसे एस. ओ. सं. 8, दिनांक 14 मार्च, 2023 के तहत झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।
